बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक 28/11/25

संख्या–8 / नि0को0(रा0)विभागीय–728 / 2024 5929 कार्यालय निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक–6163 दिनांक–14.08.2024 द्वारा श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन जिला सहकारिता पदधिकारी, भोजपुर सम्प्रति संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के विरूद्ध खरीफ विपणन मौसम 2022–23 अंतर्गत राज्य खाद्य निगम को शत प्रतिशत चावल (सी0एम0आर0) आपूर्ति नहीं होने से डिफॉल्टर हुई समितियाँ से कैश क्रेडिट की राशि वसूली में वांछित प्रगति नहीं होने के कारण आरोप पत्र गठित कर भेजा गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–4177 दिनांक–14.08.2025 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित कर स्पष्टीकरण पूछा गया। कार्यालय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक–969 दिनांक–03.09.2025 के माध्यम से श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि भोजपुर जिला अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम 2022–23 अंतर्गत निर्धारित तिथि दिनांक–30.09.2023 तक 161729.56 मे0 टन चावल की आपूर्ति की गयी एवं चार (4) समितियों द्वारा 537.19 मे0 टन चावल की आपूर्ति नहीं की गयी जिसका समतुल्य धान 800.88 मे0 टन एवं धान की राशि 165.57 लाख रुपया सन्निहित है।

धान अधिप्राप्ति के पश्चात शत प्रतिशत चावल आपूर्ति हेतु विभिन्न विभागीय पत्रों एवं बैठकों में निदेश दिया गया था। साथ ही चावल जमा नहीं करने वाले समितियों से राशि वसूली हेतु विभिन्न विभागीय पत्रों के माध्यम से निदेश दिया गया था। उक्त के बावजूद एक वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी जिला अंतर्गत दो समितियों से 110.80 लाख की वसूली नहीं हो पायी।

अतः श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, भोजपुर सम्प्रति संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित)के नियम 17(3) तथा नियम 19 में निहित प्रावधानों के तहत नियम 14 में उपबंधित निन्दन का दंड अधिरोपित किया जाता है। आरोप वर्ष 2022–23 है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(कुमारी आरती)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक .... / पटना, दिनांक ....
8 / नि॰को॰(रा॰)विभागीय–728 / 2024

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक .... / पटना, दिनांक ....
8 / नि॰को॰(रा॰)विभागीय–728 / 2024

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोशागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
विशेष कार्य पदाधिकारी।

F:\section-8\2025\santosh\adhisuchna - vijay kr singh.doc

ज्ञापांक .... / पटना, दिनांक ....

8 / नि॰को॰(रा॰)विभागीय–728 / 2024

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / मुख्य सचिव, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक .... / पटना, दिनांक ....

8 / नि॰को॰(रा॰)विभागीय–728 / 2024

प्रतिलिपि :– श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन जिला सहकारिता पदधिकारी, भोजपुर सम्प्रति संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक 5929 / पटना, दिनांक 28/11/25

8 / नि॰को॰(रा॰)विभागीय–728 / 2024

प्रतिलिपि :– सरकार के सभी सचिव / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/11/25

विशेष कार्य पदाधिकारी।

26.11.2025

F:\section-8\2025\santosh\adhisuchna - vijay kr singh.doc